न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 36 / 2026(GCMS 2026/86)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्री छगन लाल छाबड़ा निवासी बी–18, आनन्द विहार, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर : 94145–04294)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं **अति. जिला कलक्टर** (सतर्कता), श्रीगंगानगर

06.05.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री छगन लाल छाबड़ा उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर को आवेदन पत्र दिनांक 23.01.2026 से प्रस्तुत करके पांच बिन्दुओं सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह ऑनलाईन अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी छगन लाल छाबड़ा ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 23.01.2026 से अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी :

1. सूचना का अधिकार के तहत आपके पत्र संख्या 138 दिनांक 11.09.2025 में लिखा गया था कि नगरपालिका सूरतगढ़ से ... 27.06.2025 द्वारा मूल अभिलेख प्राप्त कर लिया गया है। (नगरपालिका सूरतगढ़ द्वारा भेजे गए अभिलेख के पत्र की प्रति मय तालिका उपलब्ध करवायें।)
2. आपने कमेटी गठित करने का लिख है, कमेटी गठन की सूचना की प्रति।
3. शिकायत को 01 वर्ष से उपर हो गया है, अतः जांच रिपोर्ट की प्रर्ति
4. जांच रिपोर्ट पर क्या निर्णय लिया गया है, की प्रति।
5. मेरे द्वारा 15.10.2025 को दिए गये पत्र को जांच में सम्मिलित करने के लिए जांच कमेटी को दिए गए [illegible] प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:46:50 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर ने अपने पत्र क्रमांक अजिक/सत/आरटीआई/2026/[illegible] दिनांक [illegible] से अपील का जवाब प्रेषित कर, अवगत करवाया है कि उनके द्वारा अपने [illegible] क्रमांक राजस्व/सूचना का अधिकार/2025/823 दिनांक 27.02.2026 अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 36 / 2026
(GCMS No. 2026/86)
छगनलाल छाबड़ा बनाम अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर
आदेश दिनांक 06.05.2026

क्रमांक	सूचना जो चाही गई है	उत्तर
1	सूचना का अधिकार के तहत आपके पत्र संख्या 138 दिनांक 11.09.2025 में लिखा गया था कि नगरपालिका सूरतगढ़ से . 27.06. 2025 द्वारा मूल अभिलेख प्राप्त कर लिया गया है। (नगरपालिका सूरतगढ़ द्वारा भेजे गए अभिलेख के पत्र की प्रति मय तालिका उपलब्ध करवायें।)	पत्र के संलग्न है। (प्राप्त पत्र की दिनांक संहवन से पूर्व सूचना में 27.06.225 दर्ज हो गई थी, के स्थान पर 22.07.2025 अंकित अनुसार पढ़ा जावे)
2	आपने कमेटी गठित करने का लिख है, कमेटी गठन की सूचना की प्रति।	पत्र के संलग्न है।
3	शिकायत को 01 वर्ष से उपर हो गया है, अतः जांच रिपोर्ट की प्रति।	जांच प्रक्रियाधीन है।
4	जांच रिपोर्ट पर क्या निर्णय लिया गया है, की प्रति।	अंतिम जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर सूचित किया जा सकेगा।
5	मेरे द्वारा 15.10.2025 को दिए गये पत्र को जांच में सम्मिलित करने के लिए जांच कमेटी को दिए गए पत्र की प्रति।	सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत पोषित नहीं है।

अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(h) में निम्नानुसार अवलोकनीय है :

> **8. Exemption from disclosure of information** :-(1) Notwithstanding anything contained in this Act, there shall be no obligation to give any citizen :
>
> (h) Information which would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of offenders;

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:46:50 IST
Reason: SelfAttested

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धा... के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच** हो ... **दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है, जो** निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 36/2026
(GCMS No. 2026/86)
छगनलाल छाबड़ा बनाम अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर
आदेश दिनांक 06.05.2026

	वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। **सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की** कोई गुंजाईश **नही है।** इसलिए **लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर ने** अपील का जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। **अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी** की अपील निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर** को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं **अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो। **यह आदेश आज दिनांक 06.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।** **(डॉ. अमित यादव)** जिला कलक्टर श्रीगंगानगर जिला कलक्टर श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.19 16:46:50 IST
Reason: SelfAttested